

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(253) विला-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक: 28-03-14

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या 942/2013-14)

विषय-राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(6) ले.ब./परशि/एस.ए.सी.-चतुर्थ/12-13/1749 दिनांक 21.03.2014 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 68/13-14) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 5101.82/- लाख (अक्षर राशि रु. इक्यावन करोड़ एक लाख बियासी हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जाये-

--व्यय निम्नानुसार विकल्प है :-

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(04)-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता

मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
[02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संकेतन) (आयोजना)	[03]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संकेतन) (आयोजना)	[04]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संकेतन) (आयोजना)	
986.40	213.25	271.23	1470.91

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197 -ब्लॉक पंचायतों/मन्वयती स्तर की पंचायतों को सहायता

(05)-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान

मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
[02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संकेतन) (आयोजना)	[03]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संकेतन) (आयोजना)	[04]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संकेतन) (आयोजना)	
1693.17	852.985	1084.755	3630.91
		कुल योग	5101.82

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृती का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आंकोजना निम्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा तथा राजस्थान उपायन एवं पारदर्शिता अधिनियम/निबन्ध के प्रावधानों तथा आदर्श चुनाव आचार संकलित की फालतनुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(एम.एल. आचार्य)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिनिधि-

1. प्रधान महालेखाकार राजस्वार्ण जयपुर को 5 प्रतिशत सहित।
2. शासन सचिव एवं अनुकूल पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, विला (व्यप-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला करिषद, समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. अनुभागधिकारी, विला (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एगालिस्ट विला (कम्प्युटर सेल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रायली।

उप शासन सचिव, विला (बजट)